



सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 वैशाख 1924 (श०)

(सं० पटना, 163)

पटना, बुधवार, 24 अप्रैल 2002

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 अप्रैल, 2002

सं०-एल०जी० 1-013/2001/लेज: 137/:-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 17 अप्रैल, 2002 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

[बिहार अधिनियम 6, 2002]

बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2002

बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 1973 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के निरपनवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—

(1) यह अधिनियम बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा।

(2) यह दिनांक 8 जून, 2001 के प्रभाव से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में संशोधन।—उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द "9,000 (नौ हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जायेगा", शब्द "जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह की दर से अनुमान्य हो अथवा समय-समय पर अनुमान्य होगा" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. निरसन एवं व्यावृत्ति:—(1) बिहार लोकायुक्त (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2001 (बिहार अध्यादेश सं० 6, 2001) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

24 अप्रैल, 2002

संख्या-एल०जी० 1-013/2001/लेज: 138/—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापरित और राज्यपाल द्वारा 17 अप्रैल, 2002 को अनुमत बिहार लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2002 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[Bihar Act 6, 2002]

THE BIHAR LOKAYUKTA (AMENDMENT) ACT, 2002

AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR LOKAYUKTA ACT, 1973

Preamble—Be it enacted by the Legislature of Bihar in the fifty third year of Republic of India as follows:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Lokayukta (Amendment) Act, 2002.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from 8th June, 2001.

2. *Amendment in Second Schedule of the Bihar Lokayukta Act, 1973.*—The following words and figures used in the second line of the Second Schedule of the said Act "at the rate of Rs. 9,000 (Rupees nine thousand) per Mansam" shall be substituted by the words "at the rate of per mansam which is or shall be admissible to the Chief Justice of the Patna High Court from time to time."

3. *Repeal and savings.*—(1) The Bihar Lokayukta (Second Amendment) Ordinance, 2001 (Bihar Ordinance No. 6, 2001) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken in exercise of any powers conferred by, or under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद,
सचिव, विधि विभाग, बिहार।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा
अधीक्षक, सचिवालय पुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 163 लाईनी + डी०डी०पी० — 571+390